क्रम-संख्या–214

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2017

आश्विन 25, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–9

संख्या 1783/एक–9–2017–3(एस)–2017

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–41

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2014 और इस विषय पर किसी अन्य नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2017

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2017" कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी जिले के कलक्टर से है;

(ख) "परिषद" का तात्पर्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से है;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) "आयुक्त एवं सचिव" का तात्पर्य आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है;

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) "संस्थान" का तात्पर्य राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई, उत्तर प्रदेश से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा से है;

(ठ) "उप जिलाधिकारी" का तात्पर्य सब डिवीजन (परगना) के प्रभारी सहायक कलक्टर से है;

(ड) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ढ़) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

(2) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(3) जब तक कि उपनियम (2) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी:

पद का नाम		पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
राजस्व निरीक्षक	क्षेत्र कार्य/लेखपालों पर नियंत्रण हेतु	1326	1808	3134
	कार्यालय कार्य हेतु	1082	–	1082
	जनपद स्तरीय भूलेख कार्यालय हेतु	65	–	65
कुल योग		**2473**	**1808**	**4281**

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

(4) राजस्व निरीक्षक के कार्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश भूलेख नियमावली में यथापरिभाषित या परिकल्पित हों या सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा यथाउपबंधित हों।

(5) कलक्टर किसी कार्य के लिए राजस्व निरीक्षक की तैनाती कर सकता है।

(6) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व निरीक्षक संवर्ग के विभागाध्यक्ष होंगे।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी,

(क) छिहत्तर प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ख) बाईस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त संग्रह अमीनों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ग) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त भू–अर्जन अमीनों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

भाग–चार

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

6–आयुक्त एवं सचिव भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

7–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर निम्नवत् गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद –अध्यक्ष
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद --सदस्य
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद –सदस्य

टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) आयुक्त एवं सचिव, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश(लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा। संबंधित अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त/उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद अभ्यर्थियों की इस प्रकार बनायी गयी पात्रता सूची चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझें जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी। चयन समिति सूची को आयुक्त एवं सचिव को अग्रसारित करेगी जो अध्यक्ष, राजस्व परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। अनुमोदन के उपरान्त आयुक्त एवं सचिव अपने जनपदों में विद्यमान रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सूची से नामों की अपेक्षित संख्या सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा।

भाग–पॉच

नियुक्ति, प्रशिक्षण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

8–(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम–7 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है।

प्रशिक्षण

9–सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे दिनांक को संस्थान में अपना योगदान प्रशिक्षण देगा, जैसा कि आयुक्त एवं सचिव द्वारा नियत किया जाय और तीन माह के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। उक्त प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ऐसी होगी, जैसी परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

अर्हकारी परीक्षा

10–(1) प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी व्यवस्था परिषद द्वारा की जायेगी।

(2) संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी के कार्य और आचरण का निर्धारण उपस्थिति, मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर करेगा जिसके लिए अर्हकारी परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का कुछ प्रतिशत चिन्हित किया जायेगा और इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि सत्र के दौरान संस्थान के खुले रहने पर वह कम से कम 80 प्रतिशत दिनों तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो। तथापि आपवादिक मामलों में परिषद इस शर्त को उपयुक्त रूप से शिथिल कर सकती है।

(4) यदि कोई व्यक्ति अर्हकारी परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे संस्थान में दो माह की अवधि के अग्रतर लघु प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है।

(5) समस्त सफल अभ्यर्थियों को संस्थान का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(6) प्रत्येक सत्र में परिषद एक अधिकारी को अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेगी। अधीक्षक अपनी ओर से निरीक्षक की नियुक्ति करेगा जो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयास, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए कदाचार के मामलों को उसे सूचित करेगा। अधीक्षक अपने विवेक पर या तो परीक्षार्थी को अग्रतर परीक्षा से प्रतिवारित कर सकता है या प्रश्नपत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अनुसूचित साधनों को सम्मिलित करते हुए कदाचार के आधार पर ऐसा करने के पूर्व अधीक्षक की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के प्रति कारण बताने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। परीक्षार्थी अधीक्षक द्वारा कृत कार्यवाही के विरूद्ध परिषद के समक्ष एक अपील दायर कर सकता है। परिषद का विनिश्चय इस संबंध में अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

ज्येष्ठता

11–(1) सेवा में पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) आयुक्त एवं सचिव सेवा के सदस्यों की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता अवधारित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भाग–छह

वेतन इत्यादि

वेतनमान

12–(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत् दिए गए हैं–

पदनाम	वेतनमान
राजस्व निरीक्षक	लेवल–5 रू0 29200–92300

भाग–सात

अन्य उपबन्ध

स्थानान्तरण

13–(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(2) किसी सब-डिवीजन के भीतर राजस्व निरीक्षक का स्थानान्तरण सब डिवीजनल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिले के भीतर एक सब–डिवीजन से दूसरे सब–डिवीजन में स्थानान्तरण उस जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। किसी डिवीजन के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण उस डिवीजन के आयुक्त द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जिससे कि किसी जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या परिवर्तित न हो। राज्य के भीतर राजस्व निरीक्षकों के स्थानान्तरण की शक्ति परिषद के पास होगी।

निवास की बाध्यता

14–राजस्व निरीक्षक अपने हल्के के भीतर ही निवास करेगा जब तक कि उसने सब डिवीजनल अधिकारी या कलक्टर से उसके बाहर रहने की अनुमति प्राप्त न कर ली हो।

पक्ष समर्थन

15–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। सेवा के किसी सदस्य की ओर से पदोन्नति द्वारा अपनी नियुक्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

16–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

17– जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

18–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-1783/ 1-9-2017-3(S)-2017, Dated October 17, 2017.

No.-1783/1-9-2017-3(S)/2017

Dated Lucknow, October 17 2017.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Excutive (Rajasva Nirikshak) Service Rules, 2014 and any other rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Rajasva Nirikshak) Service:

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE REVENUE EXECUTIVE (RAJASVA NIRIKSHAK) SERVICE RULES, 2017

PART-I

GENERAL

Short title and Commencement

1.(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Subordinate revenue executive (Rajasva Nirikshak) Service Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. Uttar Pradesh Subordinate revenue executive (Rajasva Nirikshak) Service is a subordinate service comprising Group 'C' posts.

Difinitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) 'Appointing authority' means the Collector of a District;

(b) 'Board' means the Board of Revenue, Uttar pradesh;

(c) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Commissioner and Secretary' means the Commissioner and Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh;

(e) 'Constitution' means the Constitution of India;

(f) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) 'Institute' means the Raja Todarmal Survey and Land Records Training Institute, Hardoi, Uttar Pradesh;

(i) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders inforce prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(j) 'Other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time ;

(k) 'Service' means the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Rajasva Nirikshak) Service;

(l) 'Sub-Divisional Officer' means the Assistant Collector incharge of a Sub-Division;

(m) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(n) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calender year.

PART -II

CADRE

4. (1) The cadre of the service shall be of State level. Cadre of service

(2) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(3) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (2), be as given below:

Name of post		Number of posts		
		Parmanent	Temporary	**Total**
Rajasva Nirikshak	For Field work /Control on Lekhpals	1326	1808	**3134**
	For office work	1082	---	**1082**
	For District level land records office	65	---	**65**
Grand Total		**2473**	**1808**	**4281**

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without therby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

(4) The Work and duties of Rajasva Nirikshak shall be such as defined or envisaged in the Uttar Pradesh Land Records Rules or as provided by executive instructions issued by the Government from time to time.

(5) The Collector may post Rajasva Nirikshak for any work.

(6) The Commissioner and Secretary shall be the Head of Department for the cadre of Rajasva Nirikshak.

PART-III

RECRUITMENT

5. Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources: Source of recruitment

(1) Seventy six percent by promotion from amongst substantively appointed Lekhpals who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) Twenty two percent by promotion from amongst substantively appointed Collection Amins who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) Two percent by promotion from amongst substantively appointed Land Acquisition Amins who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

PART-IV

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

6. The Commissioner and Secretary shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment. Determination of vacancies

7. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Utter Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Procedure for recruitment by promotion

Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted as under:

1-	Commissioner and Secretary, Board of Revenue.	Chairman
2-	Additional Land Reforms Commissioner, Board of Revenue, to be nominated by the Commissioner and Secretary, Board of Revenue.	Member
3-	Deputy Land Reforms Commissioner, Board of Revenue to be nominated by the Commissioner and Secretary, Board of Revenue.	Member

NOTE- Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

(2) The Commissioner and Secretary shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time. Concern Additional Land Reforms Commissioner/Deputy land reforms Commissioner, Board of Revenue shall place the eligibility List of the candidates so prepared before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidate also.

(4) The Selection committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted. The Selection Committee shall forward the list to the Commissioner and Secretary, who shall place it before the Chairman, Board of Revenue for approval. After the approval, the Commissioner and Secretary shall forward the requisite number of names from the list to the concerned appointing authorities keeping in view the number of vacancies existing in their districts.

PART-V

APPOINTMENT, TRAINING AND SENIORITY

Appointment

8. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 7.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

Training

9. A person appointed to the service shall join the Institute on such date as may be fixed by the Commissioner and Secretary and shall undergo a training for three months. The syllabus and curriculum of the said training shall be such as determined by the Board from time to time.

Qualifying Examination

10. (1) At the end of the training, a qualifying examination shall be held, arrangement for which shall be made by the Board.

(2) The Director-of the Institute shall assess the work and conduct of each candidate on the basis of the attendance, monthly test, conduct and discipline for which some percentage of the total marks fixed for qualifying examination shall be earmarked and the marks obtained by the candidate in this regard will be added to the marks obtained in the qualifying examination.

(3) No candidate shall ordinarily be allowed to appear at the qualifying examination unless he has attended the class for at least eighty percent of the days on which the Institute was open during the session. The Board may, however, suitably relax this condition in exceptional cases.

(4) If a candidate fails at the qualifying examination, he may be allowed a further short training of two months duration at the Institute.

(5) All the successful candidates shall be given a certificate of the Institute.

(6) At each session the Board shall nominate an officer to work as Superintendent of the qualifying examination. The Superintendent in his turn shall appoint invigilators who shall report to him the cases of misconduct including use of unfair means or attempts, if any, on the part of examinees during the examination. The Superintendent may in his discretion either debar the examinee from further examination or order for deduction of marks obtained by him in the particular paper. Before doing so on the ground of misconduct including unfair means, the Superintendent shall afford full opportunity of showing cause against the action proposed to be taken. The examinee may file an appeal before the Board against the action taken by the Superintendent. The decision of the Board shall be final and binding in this regard.

(7) A person who fails to pass the qualifying examination shall not be allowed the annual increment.

Seniority

11. (1) The seniority of persons substantively appointed to the posts in the service shall be determined in accordance with The Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

(2) The Commissioner and Secretary shall be the competent authority for determination of State level seniority of the members of the service.

PART-VI

PAY ETC

Scale of pay

12. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is as follows:

Name of post	Scale of pay
Rajasva Nirikshak	Level-5 Rs. 29200-92300

PART-VII

OTHER PROVISIONS

Transfer

13. (1) The persons appointed to the service shall be liable to be transferred throughout the State of Uttar Pradesh.

(2) Transfer of Rajasva Nirikshak within a Sub-Division will be made by the Sub-Divisional Officer. Transfer from one Sub-Division to another Sub-Division within the District will be made by the Collector of that district. Transfer from one district to another district within a division will be made by the Commissioner of that division in such a manner as not to alter the number of posts sanctioned by the Government in any district. The Board shall have the power of transfer of Rajasva Nirikshak within the State.

Obligation of residence

14. The Rajasva Nirikshak shall reside within his halqa unless he has obtained permission of the Sub-Divisional Officer or Collector to reside outside it.

Canvassing

15. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a member of the service to enlist support directly or indirectly for his appointment by promotion shall disqualify him.

Regulation of other matters

16. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, not with standing anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Relaxation from the conditions of service

17. In regards to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Savings

18. Nothing in these rules shall affect other concessions required to be provided for candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
DR. RAJNEESH DUBE,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 523 राजपत्र–(हिन्दी)–2017–(1262)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 राजस्व–2017च–(1263)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

क्रम-संख्या-50 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०—91/2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 17 फरवरी, 2014

माघ 28, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

राजस्व अनुभाग—9

संख्या 327/1-9—2014-रा—9—4892-2011

लखनऊ, 17 फरवरी, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०—28

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और समय समय पर यथा संशोधित ,उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2011 और उत्तर प्रदेश अवर राजस्व लिपिक (रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो) सेवा नियमावली, 1958 और इस विषय पर किन्हीं अन्य नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा-नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा एक अधीनस्थ सेवा हैं जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाए

3— जब तक विषय या सन्दर्भ में प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन—जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी जिला के कलेक्टर से है ;

(ग) "परिषद" का तात्पर्य राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है ;

(घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ड.) "आयोग" का तात्पर्य लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश से है ;

(च) "आयुक्त" का तात्पर्य किसी डिवीजन के आयुक्त से है ;

(छ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है ;

(ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(झ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ञ) "संस्थान" का तात्पर्य राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई, उत्तर प्रदेश से है;

(ट) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ठ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय—समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछडे वर्गों से है ;

(ड) "सेवा " का तात्पर्य अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक(राजस्व निरीक्षक) सेवा से है ;

(ढ)"उप जिला अधिकारी" का तात्पर्य उप जिला (परगना) के प्रभारी सहायक कलेक्टर से है ;

(ण)"मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(त) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी:—

पद का नाम		पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
राजस्व निरीक्षक	क्षेत्र कार्य/लेखपालों पर नियंत्रण हेतु	1326	—	1326
	कार्यालय कार्य हेतु	1082	—	1082
	जनपद स्तरीय भूलेख कार्यालय हेतु	65	—	65
कुल योग		2473	—	2473

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

(3) उप नियम (2) में यथा परिभाषित राजस्व निरीक्षक के कार्य और कर्तव्य वही होंगे जो उत्तर प्रदेश भू–अभिलेख नियमावली में परिकल्पित हैं।

(4) कलेक्टर किसी कार्य के लिए राजस्व निरीक्षक की तैनाती कर सकता है।

(5) राजस्व परिषद, राजस्व निरीक्षक के संवर्ग हेतु विभागाध्यक्ष होंगे।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :

(क) पच्चीस प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

(ख) पचपन प्रतिशत,मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों मे से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ग) अठ्ठारह प्रतिशत,मौलिक रूप से नियुक्त संग्रह अमीनों मे से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(घ) दो प्रतिशत,मौलिक रूप से नियुक्त भूमि अधिग्रहण अमीनों मे से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग–चार–अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उ0प्र0 से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वह आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8—सेवा में सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी आवश्यक है।

अधिमानी अर्हता

9—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जाय। पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेंसियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-3 के अध्याय 3 में दिये गये फण्डामेंटल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से किसी स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग—पाँच—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14—परिषद भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15—(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित पत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम पर इस सम्बंध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंको को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा। आयोग सूची को परिषद को अग्रसारित करेगा। परिषद सूची में से अपेक्षित नामों की संख्या,नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16–पदोन्नति द्वारा भर्ती,अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली,1970 के अनुसार की जायेगी । आयोग चयनित अभ्यथियों की सूची परिषद को अग्रसारित करेगा । परिषद सूची में से अपेक्षित नामों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

संयुक्त चयन सूची

17–यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगें कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, प्रशिक्षण, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18–(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति चयन में अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा या जैसी उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है । यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जाती है तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा ।

परिवीक्षा

19–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा और प्रशिक्षण के लिए संस्थान में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय पर या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो,या प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा नहीं किया है और नियम–21 में यथाविहित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है,और यदि किसी पद पर कोई धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवाऐं समाप्त की जा सकती है ।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवा समाप्त की जाय, किसी क्षतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

प्रशिक्षण

20–(1) परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे दिनांक को संस्थान में अपना योगदान देगा, जैसा कि परिषद द्वारा नियत किया जाय और तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(2) उप नियम(1) के अधीन यथा विहित राजस्व निरीक्षक हेतु तीन माह का प्रशिक्षण ऐसे सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य होगा जो इस नियमावली के प्रारम्भ से पहले सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/ रजिस्ट्रार कानूनगो एवं भूलेख लिपिक के पद धारण कर रहे थे ।ऐसे राजस्व निरीक्षकों के नामों को उक्त प्रशिक्षण के पूर्ण होने के पश्चात् पदक्रम सूची में रखा जायेगा ।

(3) उक्त प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ऐसी होगी, जैसी परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

अर्हकारी परीक्षा

21–(1) प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसकी व्यवस्था परिषद द्वारा की जायेगी।

(2)–संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी के कार्य और आचरण का निर्धारण उपस्थिति, मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर करेगा जिसके लिये अर्हकारी परीक्षा हेतु नियत कुल अंको का कुछ प्रतिशत चिन्हित किया जायेगा और इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको में जोड़ दिया जायेगा ।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि सत्र के दौरान संस्थान के खुले रहने पर वह कम से कम 80 प्रतिशत दिनों तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो। तथापि आपवदिक मामलों में परिषद इस शर्त को उपयुक्त रूप से शिथिल कर सकती है।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे संस्थान में दो माह के अग्रतर लघु प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल उन्हीं विषयों में की जायेगी, जिनमें अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा में असफल रहा हो और ऐसे प्रशिक्षण के अंत में संस्थान द्वारा एक अनुपूरक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(5) समस्त सफल अभ्यर्थियों को संस्थान का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

(6) प्रत्येक सत्र में परिषद एक अधिकारी को अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेगी। अधीक्षक अपनी ओर से निरीक्षक की नियुक्ति करेगा जो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयास,यदि कोई,को सम्मिलित करते हुए कदाचार के मामलों को उसे सूचित करेंगे। अधीक्षक अपने विवेक से या तो परीक्षार्थी को अग्रतर परीक्षा से प्रतिवारित कर सकते हैं या प्रश्नपत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंको में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अनुचित साधनों को सम्मिलित करते हुए कदाचार के आधार पर ऐसा करने के पूर्व अधीक्षक, की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के प्रति कारण बताने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। परीक्षार्थी अधीक्षक द्वारा कृत कार्यवाही के विरूद्ध परिषद के समक्ष अपील दायर कर सकता है। परिषद का विनिश्चय इस सम्बंध में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

स्थायीकरण

22–(1)उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और संस्थान से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

(ख)उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम–5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि सम्बंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता

23–सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात वेतन इत्यादि

वेतनमान

24–(1) सेवा में किसी पद पर व्यक्तियों का अनुगम्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2)–इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत दिये गये हैं:–

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड(रुपया)	तत्सदृश्य ग्रेड वेतन (रुपया)
राजस्व निरीक्षक	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800

परिवीक्षा अवधि में वेतन

25—(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे;

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का,जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग—आठ अन्य उपबन्ध

संवर्ग का विस्तार

26—सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बंध में एक सामान्य संवर्ग होगा और इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

स्थानान्तरण

27—किसी उप जिला(सब डिवीजन) के भीतर राजस्व निरीक्षक का स्थानान्तरण उपजिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिले के भीतर एक उपजिला से दूसरे उपजिला में स्थानान्तरण उस जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। किसी मण्डल के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण उस मण्डल के आयुक्त द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा जिससे कि किसी जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत पदो की संख्या परिवर्तित न हो। राज्य के भीतर राजस्व निरीक्षकों के स्थानान्तरण की शक्ति परिषद को होगी।

निवास की बाध्यता

28—राजस्व निरीक्षक अपने हल्का के भीतर निवास करेगा जब तक की उसने उप जिला अधिकारी या कलेक्टर से उसके बाहर रहने की अनुमति प्राप्त न कर ली हो।

पक्ष समर्थन

29—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित या मौखिक,विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

30—ऐसे विषयों के सम्बंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलापों के सम्बंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

31—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह कि,जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वह उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जाएगा ।

व्यावृत्ति

32—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 327/1-9–2014-Ra-9-4892-2011, dated February 17, 2014 :

No. 327/1-9–2014-Ra-9-4892-2011

Dated Lucknow, February 17, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Revenue Inspector) Service Rules,2011 and the Uttar Pradesh Assistant Revenue Clerk (Registrar Kanoongo/Assitant Registrar Kanoongo) Service Rules 1958, as amended from time to time, and any other rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Rajasva Nirikshak) Service.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE REVENUE EXECUTIVE (RAJASVA NIRIKSHAK) SERVICE RULES, 2014

PART-I GENERAL

Short title and commencement

1.(1) These rules shall be called The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Rajasva Nirikshak) Service Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Rajasva Nirikshak) Service is a subordinate service comprising Group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Act, 1994;

(b) 'appointing authority' means the Collector of a District;

(c) 'Board' means the Board of Revenue, Uttar Pradesh;

(d) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(e) 'Commission' means the Public Service Commission,Uttar Pradesh ,

(f) 'Commissioner' means the Commissioner of a Division;

(g) 'Constitution' means the Constitution of India;

(h)'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(i) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh ;

(j) 'Institute' means the Raja Todermal Survey and Land Records Training Institute, Hardoi, Uttar Pradesh ;

(k) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(l) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Scheduled I of the Act, as amended from time to time,

(m) 'Service' means the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Rajasva Nirikshak) Service;

(n) 'Sub-Divisional Officer' means the Assistant Collector in-charge of a Sub-Division;

(o)'substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(p) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART -II- CADRE

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. Cadre of service

(2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1),be as given below:

Name of post		Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
Rajasva Nirikshak	For Field work /Control on Lekhpals	1326	---	1326
	For office work	1082	---	1082
	For District level land records office	65	---	65
	Grand Total	2473	---	2473

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

(3) Work and duties of the Rajasva Nirikshak as defined in Sub-Rule (2) shall be the same as envisaged in the Uttar Pradesh Land Records Rules.

(4) The Collector may post Rajasva Nirikshak for any work.

(5) Board of Revenue shall be the Head of Department for the cadre of Rajasva Nirikshak.

PART-III RECRUITMENT

5. Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources: Source of recruitment

(a) Twenty five percent by direct recruitment through the Commission on the basis of the competitive examination.

(b) Fifty five percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Lekhpals who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(c) Eighteen percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Collection Amins who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(d) two percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Land Acquisition Amins who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. Reservation

PART-IV QUALIFICATION

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be : Nationality

(a) a citizen of India ; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE : A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the service must possess a Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.

Preferential qualification

9. A candidate who has :

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a "B" certificate of the National Cadet Corps, shall be given preference in the matter of direct recruitment, other things being equal.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The Board shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reerved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Procedure for direct recruitment

15. (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come upto the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each .candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the Board. The Board shall forward the requisite number of names from the list to the appointing authorities.

Procedure for recruitment by promotion through the Commission

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules,1970,as amended from time to time. The Commission shall forward the list of selected candidates to the Board. The Board shall forward the requisite number of names from the list to the appointing authorities.

Combined select list

17. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained ,the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI-APPOINTMENT,PROBATION,TRAINING CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidate in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15,16 or 17, as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion ,names shall be arranged in accordance with the order referred to in rule 17.

Probation

19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules,2013and shall be directed to join the Institute for trainjng.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction or has not completed his training satisfactorily and has not passed the qualifying examination as prescribed in rule 21, he may be reverted to his substantive post, if any ,and if does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Training

20. (1)A person appointed on probation shall join the Institute on such date as may be fixed by the Board and shall undergo a training for three months.

(2) Three months training of Rajasva Nirikshak as prescribed under sub-rule (1) will be essential for all such personals who were holding the post of Assistant Registrar Kanungo/ Registrar Kanungo and Land Record Clerk prior to the date of the commencement of these rules.The names of such Rajswa Nirikshaks will be placed in the gradation list after the completion of said training.

(3) The syllabus and the curriculum of the said training shall be such as determined by the Board from time to time.

Qualification Examination

21. (1) At the end of the training, a qualifying examination shall be held, arrangements for which shall be made by the Board.

(2) Director of the Institute shall assess the work and conduct of each candidate on the basis of the attendance, monthly tests, conduct and discipline for which some percentage of the total marks fixed for qualifying examination shall be earmarked and the marks obtained by the candidate in this regard will be added to the marks obtained in the qualifying examination.

(3) No candidate shall ordinarily be allowed to appear at the qualifying examination unless he has attended the class for at least eighty percent of the days on which the Institute was open during the session. The Board may, however, suitably relax this condition in exceptional cases.

(4) If a candidate fails at the qualifying examination, he may be allowed a further short training of two months duration at the Institute. Such training shall be arranged only in the subjects in which the candidate has failed at the qualifying examination and a supplementary examination will be held by the Institute at the end of such training.

(5) All the successful candidates shall be given a certificate of the Institute.

(6) At each session the Board shall nominate an officer to work as Superintendent of the qualifying examination. The Superintendent in his turn shall appoint invigilators who shall report to him the cases of misconduct including use of unfair means or attempts, if any, on the part of examinees during examination. The Superintendent may in his discretion either debar the examinee from further examination or order for deduction of marks obtained by him in the particular paper. Before doing so on the ground of misconduct including unfair means the Superintendent shall afford full opportunity of showing cause against the action proposed to be taken. The examinee may file an appeal before the Board against the action taken by the Superintendent. The decision of Board shall be final and binding in this regard.

Confirmation

22. (1) Subject to the provisions of sub-rule(2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) he has successfully undergone the prescribed training and obtained the certificate from the Institute,

(b) his work and conduct is reported to be satisfactory, and

(c) his integrity is certified.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of the rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.